

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2014/फाल्गुन 14, 1935

No. 568]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2014/PHALGUNA 14, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

(आयकर)

का.आ. 663(अ).—जबकि, आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लात्विया गणराज्य की सरकार के बीच एक करार (इसके पश्चात् इसे करार कहा जायेगा) पर 18 सितम्बर, 2013 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त करार को लागू करने की तारीख 28 दिसम्बर, 2013 है, जो उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैरा 2 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के तहत यथा-अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 3 का उप-पैरा (क) व्यवस्था करता है कि भारत में उक्त करार के प्रावधान उक्त करार के लागू होने वाले कलैण्डर वर्ष के तुरन्त बाद के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्युत्पन्न आय के संबंध में प्रभावी होंगे।

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लात्विया गणराज्य की सरकार के बीच उक्त करार के सभी उपबंध, जो कि इसके साथ संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं, भारत संघ में अप्रैल, 2014 के प्रथम दिन से प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 12/2014/फा.सं. 503/02/1997-एफटीडी-1]

अखिलेश रंजन, संयुक्त सचिव

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार

और

लात्विया गणराज्य की सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और लात्विया गणराज्य की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2

शामिल कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

क) भारत में, आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);

ख) लात्विया में :

(i) उद्यम आयकर;

(ii) वैयक्तिक आयकर;

(जिसे इसके बाद "लात्वियन कर" कहा जाएगा);

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के ओतरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- क) “भारत” पद से अभिप्रेत है—भारत गणराज्य का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र तथा इसके साथ-साथ कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिस पर समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सहित भारतीय कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हो;
- ख) “लात्विया” पद से अभिप्रेत है—लात्विया गणराज्य, जब इसका प्रयोग भौगोलिक अर्थ में किया जाता है तब इसका आशय लात्विया गणराज्य का भूक्षेत्र और लात्विया गणराज्य के राज्यक्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र से जुड़े कोई अन्य क्षेत्र, जिसमें लात्विया के कानूनों के अंतर्गत और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार लात्विया समुद्री तल और इसकी अवमृदा और उनके प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में लात्विया अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है;
- ग) “एक संविदाकारी राज्य” और “दूसरा संविदाकारी राज्य” पदों का तात्पर्य संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा लात्विया गणराज्य है;
- घ) “व्यक्ति” पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई समूह और कोई अन्य ऐसी सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है;
- ङ.) “कम्पनी” पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाए;
- च) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पद से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;
- छ) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थानों के बीच ही चलाया जाता है;
- ज) “सक्षम प्राधिकारी” पद से अभिप्रेत है :
- (i) भारत में : वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
 - (ii) लात्विया में: वित्त मंत्रालय अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- झ) “राष्ट्रिक” पद से अभिप्रेत है :
- (i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;
 - (ii) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्थान, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

- ज) "कर" पद से संदर्भ के अनुसार, भारतीय कर अथवा लात्वियन कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो;
- ट) "वित्त वर्ष" पद से अभिप्रेत है :
- (i) भारत के मामले में, अप्रैल माह की पहली तारीख को आरम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष;
 - (ii) लात्विया के मामले में, जनवरी माह की पहली तारीख अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाली कराधान अवधि।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक इस करार को किसी भी समय लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उन करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और उस राज्य के लागू कर कानूनों के अंतर्गत कोई भी अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत इस पद को दिए गए अर्थ पर अभिभावी होगा।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा समावेश के स्थान अथवा इसी प्रकार के किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर केवल उस राज्य में स्रोतों से होने वाली आय अथवा उसमें स्थित पूंजी पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

- क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
- ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;
- ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;
- घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी व्यक्ति के प्रभावी प्रबंध के स्थान, समावेश के स्थान और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखकर आपसी सहमति द्वारा इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ऐसी सहमति न होने की स्थिति में ऐसा व्यक्ति इस करार के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी भी संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ) कोई कार्यशाला;

(च) कोई बिक्री बाजार;

(छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भण्डागार जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो;

(ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों; और

(झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान।

3. पद "स्थायी संस्थापन" में निम्न भी शामिल किए जाएंगे :

क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप नौ महीने से अधिक समय तक चले;

ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु केवल वहीं जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु) दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी बारह महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर छह माह से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में जारी रहते हैं;

990 GI/14-2

- ग) किसी संविदाकारी राज्य में समुद्री तल और अवमृदा और उनके प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा इसके दोहन के संबंध में ऑफशोर पर किए गए कार्यकलाप, किन्तु केवल तभी जब ये कार्यकलाप किसी भी बारह माह की अवधि में कुल मिलाकर 30 दिन से अधिक अवधि अथवा अवधियों के लिए जारी रखे जाते हैं।
4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :
- क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
 - ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
 - ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;
 - घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
 - ङ.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
 - च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, वहां उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम के स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को :
- क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, को उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा
 - ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो;
 - ग) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया, प्रथमोल्लिखित राज्य में आदतन कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो।

6. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी अभिकर्ता के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, और जहाँ अभिकर्ता और उद्यम के बीच शर्तें उन शर्तों से भिन्न हैं जो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच की जाएगी, तब ऐसे अभिकर्ता को इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा। ऐसे मामले में पैराग्राफ 5 के उपबंध लागू होंगे।

7. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से आय सहित) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के संबंध में अधिकार अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार, जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, समुद्र तल और अवमृदा और उनके प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण अथवा दोहन द्वारा उत्पादित की जाने वाली सम्पत्ति के अधिकार जिसमें सभी परिसम्पत्तियों में हित के अधिकार अथवा लाभ शामिल हैं; जहाज, नौकाएं और वायुयान को अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया

जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अध्यधीन, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की तब संभावना रहती है जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए किसी विशिष्ट और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों और उसकी सीमाओं के अध्यधीन उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों। तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा इन राशियों के संबंध में जो उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हों, अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निष्पादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय) प्रभारित किया गया हो।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए गए कंटेनरों के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा उन्हें किराये पर देने (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर, बार्जिस और संबंधित उपस्कर शामिल हैं) से पैराग्राफ 1 में वर्णित संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे।
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी संविदाकारी राज्य में अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के कारोबार को चलाने के एक अभिन्न अंग के रूप में किए जाने वाले निवेशों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालनों से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।
4. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

- क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

990 GI/14-3

2. तथापि, ऐसे लाभान्शों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभान्श अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभान्शों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभान्शों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभान्श अदा किए गए हैं।
3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभान्श" पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण के दावे न हों, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभान्शों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभान्श अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभान्शों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।
5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभान्शों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभान्श उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभान्शों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभान्श अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि वह निम्न द्वारा प्राप्त हो और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा गया हो :
 - क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
 - ख) i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक;

- ii) लात्विया के मामले में, बैंक ऑफ लात्विया तथा मोर्टगेज एंड लैंड बैंक ऑफ लात्विया और लात्विया गारण्टी एजेंसी; अथवा
- ग) कोई अन्य समान संस्थान, जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पत्र के आदान-प्रदान के माध्यम से समय-समय पर सहमति हुई हो; अथवा
- घ) भारत का कोई निवासी, यदि ब्याज, भारत सरकार या उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण अथवा उप-पैराग्राफ ख) (i) या ग) में उल्लिखित निकायों में से किसी के द्वारा दिए गए गारंटीकृत, बीमित ऋण अथवा प्रदत्त, गारंटीकृत या बीमित क्रेडिट के संबंध में अदा किया गया हो; अथवा
- ड.) लात्विया का कोई निवासी, यदि ब्याज लात्विया की सरकार अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण या उप-पैराग्राफ ख) (ii) या ग) में उल्लिखित किसी निकाय द्वारा दिए गए गारंटीकृत या बीमित ऋण के संबंध में अथवा प्रदत्त, गारंटीकृत अथवा बीमित क्रेडिट के संबंध में अदा किया गया है।

4. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हो। "ब्याज" पद में ऐसी कोई आय शामिल नहीं होगी जिसे अनुच्छेद 10 के उपबंधों के तहत लाभांश माना गया है। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं

होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों के आधिक्य भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियाँ" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।
ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं को उपबंध सहित कोई प्रबंध-कार्य या तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।
5. क) एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी

रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

- (ख) जहां उप-पैराग्राफ क) के अंतर्गत रायल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत नहीं होती और रायल्टियाँ प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार, अधिकार या सम्पत्ति से संबंधित हैं या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में निष्पादित सेवाओं से संबंधित हैं, वहां रायल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, प्रयोगाधिकार या सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की राशि उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद - 13

आय अथवा संपत्ति के अंतरण पर अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त आय अथवा अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
3. किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम जो अन्तरराष्ट्रीय परिवहन में जलयानों अथवा वायुयानों का परिचालन करता हो उसके द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
4. किसी कम्पनी के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सिद्धांत रूप में किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल है, पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
5. किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

990 GI/14-4

6. अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी, व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसे अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध न हो। यदि उसे ऐसा निश्चित स्थान उपलब्ध है, तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ जहां कोई व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा इससे अधिक दिन हों, तो उसे उस दूसरे राज्य में नियमित रूप से निश्चित स्थान उपलब्ध हुआ माना जाएगा और वह आय जो ऊपर उल्लिखित उसके कार्यकलापों से प्राप्त होती है, पर उस दूसरे राज्य में निष्पादित की उस निश्चित स्थान के कारण प्राप्त हुई मानी जाएगी।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दन्त चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- क) प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है, जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं;
- ख) पारिश्रमिक, ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी पोत अथवा वायुयान के संचालन पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य या किसी कम्पनी के किसी अन्य समान अंग के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हैं।
3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में किए गए अपने कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि ये कार्यकलाप एक या दोनों संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभाग या उनके स्थानीय प्राधिकरणों की सार्वजनिक निधियों द्वारा पूर्णतः समर्थित हों। ऐसे मामले में, उस आय पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसका कि वह मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी एक निवासी है।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्याधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उसके पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।
2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के सामाजिक सुरक्षा विधान के तहत प्रदान की गई पेंशन एवं अन्य समान पारिश्रमिकों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद - 19**सरकारी सेवा**

1. क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा।

ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में प्रदान की जाती हैं, और व्यक्ति उस राज्य का एक निवासी हो, जो :-

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा।

ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि व्यक्ति उस संविदाकारी राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 20**प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता**

1. कोई व्यक्ति जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षण या शोध कार्य के प्रयोजन हेतु उस दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, तो उसको उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे शिक्षण या शोधकार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध शोधकार्य से प्राप्त होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसा शोधकार्य सार्वजनिक हित में न किया जा रहा हो बल्कि मुख्य रूप से किन्हीं विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जा रहा हो।

अनुच्छेद - 21**विद्यार्थी**

1. कोई विद्यार्थी, प्रशिक्षु या प्रशिक्षणार्थी जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसे उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई

अदायगियों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों उद्भूत हुई हों।

2. अनुच्छेद 15 के उपबंधों के होते हुए भी, कोई विद्यार्थी या प्रशिक्षु अथवा प्रशिक्षणार्थी, जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरंत पहले अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो प्रथमोल्लिखित राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, उसके द्वारा उस प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रदान की गई परावलम्बित वैयक्तिक सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि ऐसी सेवाएं उसकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से सीधे संबंधित हों और आनुषांगिक हों, अथवा उन सेवाओं से प्राप्त पारिश्रमिक उसके भरण-पोषण हेतु साधनों को बढ़ाने के लिए अनिवार्य हों। तथापि, किसी भी स्थिति में इस पैराग्राफ के लाभ प्रथमोल्लिखित राज्य में उसके प्रथमतः आगमन की तारीख से लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रदान नहीं किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और अधिकार या सम्पत्ति जिनके संबंध में आय अदा की गई है ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।
3. इस पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी लाटरियों, वर्ग पहेलियाँ, घुड़दौड़ सहित दौड़ों, ताश के खेलों और अन्य किसी प्रकार के खेलों अथवा किसी भी प्रकार के जुए या शर्त के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्रोतों से आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान के अपाकरण की पद्धति

दोहरे कराधान का निम्नानुसार अपाकरण किया जाएगा :

1. भारत में :

- क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार लात्विया में कर लगाया जा सकता है, उन मामलों में, भारत उस निवासी की आय पर लात्विया में अदा किए गए कर के बराबर की राशि की कर से कटौती के रूप में अनुमति प्रदान करेगा।

तथापि, ऐसी कटौती कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसे छूट दिए जाने से पहले परिकलित किया गया है, जैसा भी मामला हो, जो उस आय से प्राप्त है, जिस पर लात्विया में कर लगाया जा सकता है।

99C GI/14-5

ख) जहां, इस करार के किसी भी उपबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर भारत में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां भारत फिर भी, ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूटप्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

2. लात्विया में :

क) जहां लात्विया का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर करार के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां लात्विया उप-पैराग्राफ ख) और ग) के उपबंधों के अधीन ऐसी आय को कर से छूट प्रदान करेगा।

ख) जहां लात्विया का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जो अनुच्छेद 10, 11 और 12 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अनुसार हो, पर भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां लात्विया उस निवासी की आय पर भारत में अदा किए गए कर के समान राशि की कर से छूट प्रदान करेगा। तथापि, जो छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित है, जो उस आय पर आरोप्य है, जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।

ग) जहां करार के किसी उपबंध के अनुसार लात्विया के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय लात्विया में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां लात्विया फिर भी, ऐसी निवासी की शेष आय पर कर की राशि को परिकलित करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं।

2. राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति, जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासी हैं, पर किसी कराधान हेतु अथवा इससे संबंधित किसी अपेक्षा हेतु किसी भी संविदाकारी राज्य के अधीन नहीं होंगे, जो उस कराधान एवं संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है जिसके लिए संबंधित राज्य के राष्ट्रिक उन्हीं परिस्थितियों में विशेषतया आवास के संबंध में इसके अधीन हों या हो सकते हों।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही यह उपबंध अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है। तथापि, कर दर में अन्तर 10 प्रतिशत अंकों से अधिक नहीं होगा।

4. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये ब्याज, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे, मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया हो।
5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो अथवा उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।
6. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, सभी प्रकार के करों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति न्यायोचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस तरह किए गए किसी करार को, संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।
3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाईयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे, उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था न की गई हो।
4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय में किसी सहमति पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ सीधे एक-दूसरे से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। विचारों के मौखिक आदान-प्रदान हेतु सहमति पर पहुंचने के लिए जब ऐसा उपयुक्त प्रतीत हो, तो ऐसा आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि वाले एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित "सूचना") का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों के सभी प्रकार के उन कर्तव्यों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रयोजनार्थ कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो कि प्रथम वाक्य में उल्लिखित कर्तव्यों के संबंध में कर्तव्यों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। उपर्युक्त के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना को अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करे।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

3. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 2 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

4. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामित या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

अनुच्छेद - 27

वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य करदाता द्वारा देय करों की वसूली में एक-दूसरे को इस सीमा तक सहायता प्रदान करेंगे जहां तक उसकी राशि को सहायता हेतु अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार अंतिम रूप से निर्धारित किया गया हो।
 2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा उन करों की वसूली के लिए किसी अनुरोध के मामले में जिसे दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूली हेतु स्वीकार किया गया है, ऐसे करों को उस दूसरे राज्य द्वारा उसके अपने करों की वसूली हेतु अनुप्रयोज्य कानूनों के अनुसार वसूल किया जाएगा और इस प्रकार मानो कि वसूल किए जाने वाले कर उनके अपने कर हों।
 3. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा वसूली हेतु किया गया कोई अनुरोध उस राज्य के कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे प्रमाणपत्र के साथ होगा जो यह स्थापित करे कि करदाता द्वारा देय करों को अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया गया है।
 4. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कर दावे को अपील अथवा अन्य कार्यवाही के अध्यक्षीन होने के कारण उसका अंतिम रूप से निर्धारण नहीं किया गया हो वहां वह राज्य अपने राजस्व का संरक्षण करने के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य के अपनी ओर से संरक्षता हेतु ऐसे अंतरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे राज्य के कानूनों के अंतर्गत दूसरे राज्य में उपलब्ध हों। यदि ऐसे अनुरोध को दूसरे राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो ऐसे अंतरिम उपायों का इसके द्वारा इस प्रकार अनुपालन किया जाएगा मानो कि प्रथमोल्लिखित राज्य को देय कर उस दूसरे राज्य के अपने कर हों।
 5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अंतर्गत कोई अनुरोध किसी संविदाकारी राज्य द्वारा तभी किया जाएगा जब कि करदाता जिसके द्वारा कर देय हैं, की पर्याप्त सम्पत्ति देय करों की वसूली हेतु राज्य में उपलब्ध नहीं है।
 6. संविदाकारी राज्य, जिसमें इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार कर वसूल किया जाता है, तुरन्त उस संविदाकारी राज्य को, जिसकी ओर से कर की वसूली की गई थी, वसूल की गई ऐसी राशि को, जहां उपयुक्त हो, पैराग्राफ 7 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट असाधारण लागतों की राशि को कम करके, शेष राशि को भेजेगा।
 7. यह समझा जाता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा जब तक सहमत न हों :
 - क) सहायता प्रदान करने में किसी संविदाकारी राज्य द्वारा उपगत साधारण लागतों को उस राज्य द्वारा वहन किया जाएगा;
 - ख) सहायता प्रदान करने में किसी संविदाकारी राज्य द्वारा उपगत असाधारण लागतों को उस दूसरे राज्य द्वारा वहन किया जाएगा और दूसरे राज्य की ओर से वसूल की गई राशि पर ध्यान दिए बिना देय होगा।
- जैसे ही कोई संविदाकारी राज्य यह महसूस करता है कि असाधारण लागतों को उठाया जा सकता है, यह दूसरे संविदाकारी राज्य को इस तरह की सलाह देगा और ऐसी लागतों की अनुमानित राशि को इंगित करेगा।
8. इस अनुच्छेद में "कर" पद का तात्पर्य उन करों से है जिनपर अनुच्छेद 26 का पैराग्राफ 1 लागू होता है और जिसमें उनसे संबंधित कोई ब्याज एवं अर्थदंड शामिल हों।

9. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ किसी भी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

- क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
- ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक भार स्पष्ट रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ के अनुपात में नहीं है।

अनुच्छेद 28

लाभों का परिसीमन

1. सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति पर किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को अथवा ऐसे किसी निवासी द्वारा किए गए किसी लेन-देन के संबंध में इस करार के लाभों को अस्वीकार कर सकते हैं, यदि उनकी राय में ऐसे किसी निवासी अथवा उसके द्वारा किए गए लेन-देन के सृजन अथवा अस्तित्व का मुख्य प्रयोजन इस करार के अंतर्गत उन लाभों को प्राप्त करना था जो अन्यथा प्राप्य नहीं होंगे।
2. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के उपबंधों के एक सामान्य रूप से सहमत अनुप्रयोजन को तैयार करने की दृष्टि से एक साथ परामर्श कर सकते हैं।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशनों अथवा कौंसुली पदों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद - 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से परवर्ती अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा।
3. इस करार के उपबंध निम्न रूप से प्रभावी होंगे :-
 - क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्त वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में;
 - ख) लात्विया में :

- (i) जिस कैलेंडर वर्ष में सूचना दी गई हो, उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद प्राप्त आय पर स्रोत पर काटे गए करों के सम्बन्ध में;
- (ii) जिस कैलेंडर वर्ष में सूचना दी गई हो, उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्त वर्ष हेतु प्रभार्य करों के लिए आय पर अन्य करों के संबंध में।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में इस करार के समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद किसी वित्त वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में;

ख) लात्विया में :

- (i) जिस कैलेंडर वर्ष में सूचना दी गई हो, उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद प्राप्त आय पर स्रोत पर काटे गए करों के सम्बन्ध में;
- (ii) जिस कैलेंडर वर्ष में सूचना दी गई हो, उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्त वर्ष हेतु प्रभार्य करों के लिए आय पर अन्य करों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार तेरह के सितम्बर, माह के अठारहवें दिन हिन्दी, लात्वियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर

लात्विया गणराज्य की
सरकार की ओर से

(सलमान खुरशीद) विदेश मंत्री

(एड्गर्स रिंकेविक्स) विदेश मंत्री

सम्मत टिप्पणी

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और लात्विया गणराज्य के बीच करार पर हस्ताक्षर करते समय (जिसे इसके बाद करार कहा गया है) अधोहस्ताक्षरी करार के अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के प्रयोजन से निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं।

1. अनुच्छेद 5 के संदर्भ में :

यह समझा जाता है कि इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख को लात्विया द्वारा निष्पादित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी किसी भी करार में ऐसे विशेष उपबंध की व्यवस्था नहीं है जिसमें एक संविदाकारी राज्य के बीमा उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन माना जाए यदि वह एक आश्रित एजेंट के जरिए उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा जोखिमों का बीमा करता है।

तथापि, यदि उस तारीख के बाद लात्विया द्वारा निष्पादित दोहरे कराधान के परिहार हेतु किसी करार में ऐसा विशेष उपबंध शामिल किया जाता है तब दोनों राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच विचार-विमर्श करने के बाद इस करार हेतु ऐसे उपबंध पर भी विचार किया जाएगा।

2. अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के संदर्भ में :

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के उपबंधों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर दूसरे राज्य में कर लगाए जाने से रोका जा सके, यदि वह उस दूसरे राज्य में सिर्फ प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के क्रियाकलापों को करता है।

3. अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में :

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 में संदर्भित पर्यवेक्षी गतिविधियों अथवा सेवाओं में अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) के तहत सम्मिलित गतिविधियाँ अथवा सेवाएं शामिल नहीं हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार तेरह के नौवें माह के अठारहवें दिन हिन्दी, लात्वियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

लात्विया गणराज्य की
सरकार की ओर से

(सलमान खुरशीद) विदेश मंत्री

(एड्गर्स रिंकेविक्स) विदेश मंत्री

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

(INCOME-TAX)

S.O. 663(E).—Whereas, an Agreement was entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income which was signed at New Delhi on the 18th day of September, 2013 (hereinafter referred to as the said Agreement);

2. And whereas, the date of entry into force of the said Agreement is the 28th day of December, 2013, being the date of later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for entry into force of the said Agreement, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the said Agreement;

3. An whereas, sub-paragraph (a) of paragraph 3 of Article 30 of the said Agreement provides that the provisions of the said Agreement shall have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the said Agreement enters into force;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1st day of April, 2014.

[Notification No. 12/2014/F.No. 503/02/1997-FTD-I]

AKHILESH RANJAN, Jt. Secy.

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF LATVIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Latvia,
desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,
have agreed as follows:

Article 1

PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
 - a) in India, the income tax, including any surcharge thereon;
(hereinafter referred to as "Indian tax");
 - b) in Latvia:
 - (i) the enterprise income tax (uznemumu ienakuma nodoklis);
 - (ii) the personal income tax (iedzivotaju ienakuma nodoklis);
(hereinafter referred to as "Latvian tax").
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction,

990 GI/14-7

according to the Indian law and in accordance with international law, including U.N. Convention on the Law of the Sea;

b) the term "Latvia" means the Republic of Latvia and, when used in the geographical sense, means the territory of the Republic of Latvia and any other area adjacent to the territorial waters of the Republic of Latvia within which under the laws of Latvia and in accordance with international law, the rights of Latvia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the Republic of Latvia, as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting State;

e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) the term "competent authority" means:

(i) in India, the Finance Minister, Government of India, or his authorised representative;

(ii) in Latvia, the Ministry of Finance or its authorised representative;

i) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

j) the term "tax" means Indian or Latvian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

k) The term "fiscal year" means:

(i) in India, the financial year beginning on the firstday of April;

(ii) in Latvia, the taxation period beginning on or after the firstday of January.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to the person's place of effective management, the place where it is incorporated and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be considered to be a resident of either Contracting State for the purposes of enjoying benefits under the Agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a sales outlet;
- g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and
- i) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" shall also include:

- a) a building site or construction, installation or assembly project, or supervisory activity connected therewith, but only if such site, project or activity lasts more than nine months;
- b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through its employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where such activities continue (for the same or a connected project) in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate six months in any twelve month period;
- c) activities carried on offshore in a Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources, but only if such activities are carried on for a period or periods exceeding in the aggregate 30 days in any twelve month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first - mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

- a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
- b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, where the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and where the conditions between the agent and the enterprise differ from those which would be made between independent persons, such agent shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph. In such case, provisions of paragraph 5 shall apply.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include rights in connection with immovable property, property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, rights to assets to be produced by the

exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources, including rights to interests in or to the benefit of such assets; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that State.

990 GI/14-8

3. For the purposes of this Article interest on investments which are made in a Contracting State as integral part of carrying on the business of operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income which is subject to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

- a) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
- b) (i) in the case of India, the Reserve Bank of India, the Export-Import Bank of India and the National Housing Bank; or
(ii) in the case of Latvia, the Bank of Latvia, the Mortgage and Land Bank of Latvia and the Latvian Guarantee Agency; or
- c) any other similar institution as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the Contracting States through exchange of letters; or
- d) a resident of India, if the interest is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured by the Government, a political subdivision or a local authority of India or by any of the bodies mentioned in sub-paragraph b) (i) or c); or
- e) a resident of Latvia, if the interest is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured by the Government or a local authority of Latvia or by any of the bodies mentioned in sub-paragraph b) (ii) or c).

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. The term "interest" shall not include any income which is treated as a dividend under the provisions of Article 10. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes used for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

b) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. a) Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

b) Where under sub-paragraph (a) royalties or fees for technical services do not arise in one of the Contracting States, and the royalties relate to the use of, or the right to use, the right or property, or the fees for technical services relate to services performed, in one of the Contracting States, the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in that Contracting State.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13**INCOME OR GAINS ON ALIENATION OF PROPERTY**

1. Income or gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. Gains from the alienation of shares of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
5. Gains from alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14**INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributable to that fixed base.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15**DEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

990 G1/14-9

- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the activities are substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article and paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. An individual who visits a Contracting State for the purpose of teaching or carrying out research at a university, college or other recognized educational institutions in that Contracting State and who is or was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempted from taxation in the first-mentioned Contracting State on remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first visit for that purpose.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest, but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21

STUDENTS

1. Payments which a student, an apprentice or a trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training, receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Notwithstanding the provisions of Article 15, remuneration which a student, or an apprentice or trainee who is or was, immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training, receives for dependent personal services rendered in that first-mentioned State shall not be taxable in that State, provided that such services are directly related, and incidental, to his education or training or the remuneration for those services is necessary to supplement the resources for his maintenance. However, in any case the benefits of this paragraph shall not be granted for a period of more than five consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in form of winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 23

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Double taxation shall be eliminated as follows:

1. In India:

- a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Latvia, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in Latvia.

Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Latvia.

- b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2. In Latvia:

- a) Where a resident of Latvia derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, has been taxed in India, Latvia shall, subject to the provisions of sub-paragraphs b) and c), exempt such income from tax.
- b) Where a resident of Latvia derives income which in accordance with the provisions of paragraph 2 of Articles 10, 11 and 12 may be taxed in India, Latvia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed the part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in India.
- c) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of Latvia is exempt from tax in Latvia, Latvia may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7. However, the difference in tax rate shall not exceed 10 percentage points.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties, fees for technical services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25**MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26**EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information ("information" includes documents or certified copies of the documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

990 GI/14-10

3. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 2 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4. In no case shall the provisions of paragraph 2 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27

ASSISTANCE IN COLLECTION

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of the taxes owed by a taxpayer to the extent that the amount thereof has been finally determined according to the laws of the Contracting State making the request for assistance.

2. In the case of a request by a Contracting State for the collection of taxes which has been accepted for collection by the other Contracting State, such taxes shall be collected by that other State in accordance with the laws applicable to the collection of its own taxes and as if the taxes to be so collected were its own taxes.

3. Any request for collection by a Contracting State shall be accompanied by such certificate as is required by the laws of that State to establish that the taxes owed by the taxpayer have been finally determined.

4. Where the tax claim of a Contracting State has not been finally determined by reason of it being subject to appeal or other proceeding, that State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures for conservancy on its behalf as are available to the other State under the laws of that other State. If such request is accepted by the other State, such interim measures shall be taken by it as if the taxes owed to the first-mentioned State were the own taxes of that other State.

5. A request under the preceding paragraphs of this Article shall only be made by a Contracting State to the extent that sufficient property of the taxpayer owing the taxes is not available in that State for recovery of the taxes owed.

6. The Contracting State in which tax is recovered in accordance with the provisions of this Article shall forthwith remit to the Contracting State on behalf of which the tax was collected the amount so recovered minus, where appropriate, the amount of extraordinary costs referred to in subparagraph b) of paragraph 7.

7. It is understood that unless otherwise agreed by the competent authorities of both Contracting States,

- a) ordinary costs incurred by a Contracting State in providing assistance shall be borne by that State;
- b) extraordinary costs incurred by a Contracting State in providing assistance shall be borne by the other State and shall be payable regardless of the amount collected on behalf of the other State.

As soon as a Contracting State anticipates that extraordinary costs may be incurred, it shall so advise the other Contracting State and indicate the estimated amount of such costs.

8. In this Article, the term "taxes" means taxes to which the paragraph 1 of Article 26 applies and includes any interest and penalties relating thereto.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

- c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 28

LIMITATION OF BENEFITS

1. The competent authorities upon their mutual agreement, may deny the benefits of this Agreement to a resident of a Contracting State, or with respect to any transaction undertaken by such a resident, if in their opinion the main purpose of the creation or existence of such a resident or of the transaction undertaken by him, was to obtain the benefits under this Agreement that would not otherwise be available.
2. The competent authorities of the Contracting States may consult together with a view to develop a commonly agreed application of the provisions of this Article.

Article 29

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.
3. The provisions of this Agreement shall have effect:
 - a) in India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force;
 - b) in Latvia:
 - (i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given;
 - (ii) in respect of other taxes on income for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

- a) in India, in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- b) in Latvia:

- (i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given;
- (ii) in respect of other taxes on income for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at New Delhi this 18th day of September, 2013, each in the Hindi, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of India

Sd/-

(Salman Khurshid)
External Affairs Minister

For the Government of
the Republic of Latvia

Sd/-

(Edgars Rinkevics)
Minister of Foreign Affairs

AGREED NOTE

At the signing of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as "the Agreement") the undersigned have agreed upon the following provisions with purpose to clarify the application of the Agreement.

1. With reference to Article 5:

It is understood that on the date of signature of this Agreement none of the agreements for the avoidance of double taxation concluded by Latvia provide for special provision deeming an insurance enterprise of a Contracting State to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums or insures risks in the territory of that other State through a dependent agent.

However, if after that date, such special provision is included in any agreement for the avoidance of double taxation concluded by Latvia, then, after consultations between the competent authorities of the both States, such provision shall also be considered for this Agreement.

2. With reference to paragraph 4 of Article 5:

It is understood that the provisions of paragraph 4 of Article 5 are designed to prevent an enterprise of one Contracting State from being taxed in the other State, if it carries on in that other State, activities of a purely preparatory or auxiliary character.

3. With reference to paragraph 3 of Article 5:

It is understood that the supervisory activities or services referred to in paragraph 3 of Article 5 does not include activities or services covered under sub-paragraph b) of paragraph 3 of Article 12.

Done in duplicate at New Delhi this 18th day of September, 2013, each in the Hindi, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of India

Sd/-

(Salman Khurshid)
External Affairs Minister

For the Government of
the Republic of Latvia

Sd/-

(Edgars Rinkevics)
Minister of Foreign Affairs